

23/10/19

Station
Defendant
No. 3
23/10/19

वादी एवं वादीयों के आदिबन्ध हो बार-बार
कम-कम कर अथवा दिनबंदी महीने
अथवा वर्षों में भी उपस्थित नहीं हुए हैं।
अतः वादीयों के अथवा अदालतों में
अदालतों के खर्चों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
युक्त न्यायाधीश द्वारा इन बातों को
देखते हुए अथवा अदालतों में उपस्थित नहीं हुए हैं।
माफ़ कर दी जाय।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)